

भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र : देवनाणी

युवा संसद में विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि देश के युवा जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करें



विधानसभा में शनिवार को राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से युवा संसद समारोह का आयोजन हुआ।

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाणी ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को महान बनाने में यहाँ की समृद्ध संवैधानिक परम्पराएं, नियम और प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में इस महान लोकतंत्र को इसी प्रकार जीवित रखने में देश के युवाओं का अहम योगदान होगा।

विधानसभा में शनिवार को राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में आयोजित युवा संसद समारोह को स्पीकर देवनाणी संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही न्याय सभा तथा राज सभा के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही हैं। भारत के जन जेक के मन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यवस्थाओं के प्रति गहरी आस्था है। उन्होंने युवा संसद में उपस्थित युवाओं का आह्वान किया कि इस संसदीय व्यवस्था में भागीदार बनकर इस महान लोकतंत्र में एक नयी ऊर्जा का संचार करें।

देवनाणी ने कहा कि वर्तमान में कई बार असंसदीय घटनाओं के कारण मन

- 'वर्तमान में कई बार असंसदीय घटनाओं के कारण मन व्यथित होता है। असहनशीलता इसका प्रमुख कारण है'
- देवनाणी की पहल पर युवाओं को हुआ विधानसभा का अनुभव

व्यथित होता है। असहनशीलता इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने युवाओं को कहा कि सहनशील और शिक्षित बनकर वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा कार्य करते रहे। देवनाणी ने कहा कि संविधान के आधार पर ही देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका कार्य करती है इसलिए देश के युवाओं को संविधान में अपनी गहरी आस्था रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवा जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करें। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में काम करें।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है

उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के सीमित उपयोग और फेक न्यूज़ के प्रति जागरूक रहने को कहा। विधायक और ग्राहण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संदीप शर्मा ने समारोह में स्वागत और आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि संघ द्वारा आयोजित किये जा रहे युवा संसद कार्यक्रमों से युवाओं को लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं, दूसरे के विचारों का सम्मान और विधायिका के कामकाज को बारीकी से समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

कार्यक्रम में विधान सभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा, विशिष्ट सचिव भारत प्रभुश शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारीगण तथा एस.एम.एस विद्यालय के अध्यापकगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में 41 विद्यार्थियों के 181 विद्यार्थियों द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे गए एवं उनके द्वारा भी स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व मंत्री की भूमिका निभाई गयी। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में 20 जयपुर के और 21 राजस्थान के अन्य जिलों व राज्यों के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

सुमेल एनीकट के अति.जल भराव की समस्या के निस्तारण के लिए क्या कर रही है सरकार?

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि गंगापुर सिटी के पास सुमेल नदी पर बने एनीकट के अतिरिक्त जल भराव से स्थानीय निवासियों को हो रही समस्या के निस्तारण के लिए क्या किया जा रहा है। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

सोने एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश भगत सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

जनहित याचिका में अधिवक्ता

- अदालत ने मामले में मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

सुरेंद्र कुमार तलवा ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत सुमेल नदी पर एनीकट का निर्माण किया गया है। एनीकट के सर्वेक्षण और निर्माण के दौरान प्रशासन की ओर से यह बताया

गया था कि इसकी भराव क्षमता 46.20 एमसीटी रहेगी और इसका जल भराव क्षेत्र बामन बड़ौदा की संपर्क रोड के पुल के स्तर तक रहेगा। जबकि नागावा इसके अपस्ट्रीम में रहेगा। वहीं एनीकट की दोषपूर्ण डिजाइन और गलत निर्माण के कारण इसका जलमग्न एरिया 46.20 से करीब चार गुणा बढ़कर 184 एमसीटी हो गया। इसके अलावा अपस्ट्रीम परिधि से पांच किलोमीटर आगे तक जलभराव हो रहा है। जिसके कारण नागावा, बिदरखा, बामन बड़ौदा सहित आसपास के गांवों के निवासियों के खेतों और मकानों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।

याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की भूमि को डूब क्षेत्र के उद्देश्य से न तो अधिग्रहित किया गया और ना ही उन्हें कोई मुआवजा मिला। वहीं हर मौसम में जलभराव होने के कारण खेतों में फसल की पैदावार खराब हो रही है, लेकिन उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया। अदालत ने राज्य सरकार से जल संसाधन विभाग के अधिकारी को खाली पदों पर भर्ती के लिए गत 11 जुलाई को भर्ती विज्ञापन निकाला। जिसमें यह शर्त रखी गई कि विशेष चयन प्रक्रिया से चयन के बाद अंग्रेजी माध्यम में पर्याप्त शिक्षक इसमें आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही दूसरे जिलों में कार्यरत हैं।

नीट की तैयारी कर रही छात्रा 5वीं मंजिल से कूदी

जयपुर (का.सं.) परिवार के साथ अपना 18वां जन्मदिन मनाने के दूसरे दिन युवती ने बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। वह नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें परिवार से माफी मांगी है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त किया है। शव को कांठविद्या हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है।

पुलिस ने बताया कि छात्रा यति अग्रवाल (18) द्वारा का अपार्टमेंट विद्याधर नगर की रहने वाली थी। उसने 12वीं क्लास पास कर नीट परीक्षा की कोचिंग कर रही थी। गुरुवार को उसका जन्मदिन था। उसने अपना 18वां जन्मदिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलाकर मनाया था। शुक्रवार को उसने बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्रा को लहलुहान हालत में जमीन पर गिरा देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कांठविद्या हॉस्पिटल लेकर गई। पुलिस को मृतका के पास से नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें परिवार की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने के लिए माफी मांगी है।

जयपुर फुट के विशेषज्ञ अब कोलकाता के तकनीशियनों को प्रशिक्षित करेंगे

जयपुर, (का.सं.)। भारत सरकार के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ लोकोमोटोर डिसएंबिलिटी और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के बीच एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। इस एम.ओ.यू. के अन्तर्गत दोनों संस्थाएँ आपसी सहयोग से कोलकाता स्थित इस राष्ट्रीय शारीरिक गतिशील दिव्यांगजन संस्थान के तकनीशियनों के बी.एम.वी.एस.एस. के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित करेंगी।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ लोकोमोटोर डिसएंबिलिटी (एन.आई.एल.डी.) के निदेशक डॉ. ललित नारायण और बी.एम.वी.एस.एस. के सचिव (तकनीकी) डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता, सचिव भूपेन्द्र राज मेहता, बी.एम.वी.एस.एस. के तकनीकी परामर्शदाता डॉ. एम.के. माधुर और एन.आई.एल.डी. के विभागाध्यक्ष डॉ.



भारत सरकार के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ लोकोमोटोर डिसएंबिलिटी और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के बीच एक एम.ओ.यू. पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ लोकोमोटोर डिसएंबिलिटी के निदेशक डॉ. ललित नारायण और बी.एम.वी.एस.एस. के सचिव डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता मौजूद रहे।

प्रसन्ना लेंका भी उपस्थित थे। एन.आई.एल.डी. के राष्ट्रीय सामाजिक न्याय और समावेशन मंत्रालय के दिव्यांगों के पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत कोलकाता के बोनुहगुली स्थित संस्था है। सचिव डॉ. दीपेन्द्र मेहता ने बताया कि एन.आई.एल.डी. और बी.एम.वी.एस.एस. के बीच आपसी सहयोग के अन्तर्गत दोनों संस्थाएँ दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण और अन्वेषण कार्य करेंगी और एन.आई.एल.डी. के प्रशिक्षुओं को

खट्टर आज जयपुर में केंद्रीय बजट की जानकारी देंगे

जयपुर। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि केंद्रीय बजट की जन कल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा की ओर से प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पर प्रेसवार्ता आयोजित की जा रही है। इस दौरान प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्रों के साथ राज्य सरकार के मंत्री और भाजपा प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आज अजमेर और कोटा संभाग मुख्यालय पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इसमें अजमेर में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमार और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भट्टानी तथा कोटा में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ उर्जा मंत्री हीरालाल नार और भाजपा उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने प्रेसवार्ता की।



भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया ने गुरुग्राम पहुंचकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा के दुःखद निधन पर उनकी पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों को दार्डस बंधाया।

पी.टी.आई.भर्ती परीक्षा में पास हुए पांच अभ्यर्थियों के खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज

जयपुर। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में पास हुए पांच अभ्यर्थियों पर एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। अब जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जांच में सामने आया कि इन पीटीआई में डमी अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा पास की है। इनकी डिग्रियां भी फर्जी हैं। साथ ही इन्हें क्रिकेट बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बाक्सिंग जैसे खेलों की बेसिक जानकारी भी नहीं है। इसके लिए एसओजी ने एक महिने से जांच कर रही थी। अब एसओजी ने जांच रिपोर्ट सौंपने पर अधिकारियों को सौंप दी है।

- एस.ओ.जी. की जांच में डिग्रियां फर्जी निकलीं, डमी अभ्यर्थी बैठकर पास हुए।
- पी.टी.आई. को क्रिकेट, बैडमिंटन और बाक्सिंग के बेसिक नहीं पता।

सूत्रों के अनुसार, एसओजी की जांच में सामने आया है कि पीटीआई भर्ती परीक्षा-2022 में पास हुए अभ्यर्थियों के पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड) की सामान्य डिग्री तक नहीं है। आरोपियों ने फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी हासिल की है। एसओजी द्वारा की गई जांच में अब तक पांच पीटीआई के खिलाफ मिली शिकायत की पुष्टि हो चुकी है।

सूत्रों के अनुसार जोधपुर के विलाड़ा में रहने वाले महेंद्र कुमार बिस्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महेंद्र का सेंटर शास्त्री नगर स्थित टैगोर विद्या भवन में था। आरोप है कि महेंद्र ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा पास की। जब आरोपी से बीपीएड का सर्टिफिकेट मांगा गया तो आरोपी ने अमरावती विधि से बीपीएड की फर्जी डिग्री दे कर नौकरी ले ली। वहीं श्रवण सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। श्रवण सिंह का सेंटर मुरलीपुर में शहीद मेजर योगेश अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया था। उसने अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा पास की और पीटीआई बन गया। आरोपी ने एकलव्य युनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से बीपीएड की डिग्री लगाई, जो फर्जी निकली।

एसओजी को हेल्पलाइन नम्बर से अलवर जिले में तैनात सरकारी स्कूल के पीटीआई के बारे में भी जानकारी मिली है। अलवर में लगे हुए कुछ पीटीआई भी इसी प्रकार से परीक्षा पास करके नौकरी पर लगे हैं। एसओजी ने उनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने पर उन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच अग्रे की जाएगी।

एसओजी के अनुसार, जांच में पुष्टि होने के बाद पांच पीटीआई के खिलाफ

सांचोर के रहने वाले मनोहर लाल का जयपुर के मुरलीपुरा में सेंटर आया था। उसकी जगह डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। शिकायत मिलने के बाद अभ्यर्थी मनोहर लाल के दस्तावेजों की जांच की। जांच में आवेदन पत्र, परीक्षा प्रवेश पत्र और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त बीपीएड की डिग्री फर्जी पाई। जाली के साथला का रहने वाले ईश्वर सिंह का परीक्षा केंद्र मुरलीपुरा के प्रिंस स्कूल में आया था। उसकी जगह डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। ओपीजेएस विश्वविद्यालय में बीपीएड सत्र 2018-20 अभ्यर्थी ईश्वर सिंह का नाम नहीं मिला। उसने शारीरिक शिक्षक की नौकरी बैंक डेट में फर्जी तरीके से ओपीजेएस विश्वविद्यालय की डिग्री और मार्कशीट से प्राप्त की है। सांचोर के रहने वाले सुरेश कुमार का परीक्षा केंद्र महामना गांधी स्कूल में आया था। सुरेश के स्थान पर डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। सुरेश कुमार ने जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश) से बीपीएड की डिग्री प्राप्त की थी। आवेदन पत्र में बीपीएड उत्तीर्ण करने का साल 2021 अंकित किया गया है। वहीं, जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद द्वारा जारी मार्कशीट में चौथे सेमेस्टर का परिणाम 23 सितम्बर 2022 को जारी होना बताया है। इस प्रकार फर्जी डिग्री प्राप्त की गयी थी।

चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को इन्हें स्कूलों के रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए उनके ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है। वहीं अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस महेंद्र गायल की एकलपीठ ने यह आदेश जमानंद यादव व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

वकील को केस की फाइल नहीं देने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वन विभाग के कर्मचारी के चयनित वेतनमान नहीं देने से जुड़े मामले में सरकारी वकील के पास फाइल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य वन सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह 29 जुलाई को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना शपथ पत्र पेश करें। अदालत ने एसीएस को कहा है कि शपथ पत्र में बताए प्रकरण की सरकारी वकील को फाइल नहीं देने के क्या कारण हैं। इसके अलावा इसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जस्टिस महेंद्र कुमार गायल की एकलपीठ ने यह आदेश रामप्रसाद मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें प्रकरण की फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में वे प्रकरण में बहस नहीं कर सकते हैं। ऐसे

'आवंटी बिल्डर से जमा राशि वापस लेने का अधिकारी'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कंक्टोशन सर्टिफिकेट व ऑब्जेक्ट्स सर्टिफिकेट बिना प्रोजेक्ट व बिल्डिंग के निर्माण को पूरा नहीं माना जा सकता। यदि बिल्डर ने ये सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए हैं तो ऐसी स्थिति में आवंटि बिल्डर से अपनी जमा राशि वापस लेने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही अधिकरण ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह अपीलार्थी को उसकी जमा राशि 45 दिन में ब्याज सहित लौटाए। अधिकरण ने यह आदेश आवंटि कैलाश गुप्ता की अपील को मंजू करके देना और सिक्किन रियल एस्टेट की अपील को दस हजार रुपए हर्जाने सहित खारिज करते हुए दिया। अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि अपीलार्थी बिल्डर ने वर्ष 2006 में स्टार सिटी के नाम से एक आवसीय प्रोजेक्ट शुरू किया।

में उन्हें चार सप्ताह का समय दिया जाए वहीं याचिकाकर्ता के वकील विजय पाठक ने कहा कि वह सुनवाई को भी इसी आधार पर तारीख ली गई थी। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट में रोजाना वन विभाग के ऐसे कई केस आ रहे हैं, जिनमें विभाग के वकील को प्रकरण की फाइल ही मुहैया नहीं कराई गई है। जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। इस मामले में भी पूर्व में सरकारी वकील को फाइल नहीं देने के आधार पर बहस के लिए समय दिया गया था, लेकिन अभी तक उनके पास फाइल नहीं पहुंची है। ऐसे में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व्यक्तिगत: या वीसी के जरिए हाजिर होकर इस संबंध में शपथ पत्र पेश कर सरकारी वकील को फाइल नहीं पहुंचाने के कारण और इसके दोषी अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी अदालत में पेश करें।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें प्रकरण की फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में वे प्रकरण में बहस नहीं कर सकते हैं। ऐसे

में उन्हें चार सप्ताह का समय दिया जाए वहीं याचिकाकर्ता के वकील विजय पाठक ने कहा कि वह सुनवाई को भी इसी आधार पर तारीख ली गई थी। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट में रोजाना वन विभाग के ऐसे कई केस आ रहे हैं, जिनमें विभाग के वकील को प्रकरण की फाइल ही मुहैया नहीं कराई गई है। जिसके कारण मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। इस मामले में भी पूर्व में सरकारी वकील को फाइल नहीं देने के आधार पर बहस के लिए समय दिया गया था, लेकिन अभी तक उनके पास फाइल नहीं पहुंची है। ऐसे में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व्यक्तिगत: या वीसी के जरिए हाजिर होकर इस संबंध में शपथ पत्र पेश कर सरकारी वकील को फाइल नहीं पहुंचाने के कारण और इसके दोषी अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी अदालत में पेश करें।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वन विभाग के कर्मचारी के चयनित वेतनमान नहीं देने से जुड़े मामले में सरकारी वकील के पास फाइल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य वन सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह 29 जुलाई को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना शपथ पत्र पेश करें। अदालत ने एसीएस को कहा है कि शपथ पत्र में बताए प्रकरण की सरकारी वकील को फाइल नहीं देने के क्या कारण हैं। इसके अलावा इसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जस्टिस महेंद्र कुमार गायल की एकलपीठ ने यह आदेश रामप्रसाद मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

